

शीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
म. अमरसिंह व मानसिंह वर्मा,
दि. 20/01/18

नाम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

2/2/18

पुनः प्रवेश - यानी वकील उपर्युक्त
वकील उपर्युक्त - यानी पुनः प्रवेश
के लिए रिपट देना आवश्यक - कानून के अनुसार
दी जाती -

पुनः प्रवेश
(कानून)

अतः यानी पुनः प्रवेश के लिए रिपट
देना आवश्यक माना जाता है पुनः प्रवेश
के लिए रिपट देना आवश्यक है

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.